संख्या-236/2025/224/22-2-2025-17(172)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री जागन लोध, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1910/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025), दिनांक 15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र जागन लोध, जो सुमरावा, थाना-सकरन, जनपद-सीतापुर का निवासी है। मकान का हिस्सा अपने में मिला लिये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 27.12.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर रामआसरे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण सं0-190/1999 व 301/2000, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० विशेष सत्र न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 20.02.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 09.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है।(2) अ0सं0-23/2008, भा0द0वि0 की धारा-8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में मा० ए०एस०जे० कोर्ट सं०-07, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.12.2021 द्वारा 08 वर्ष, 02 माह, 01 दिन का सश्रम कारावास। (3) अ०सं०-145/2002. भा0द0वि0 की धारा-8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट में मा० ए०एस०जे०/ जे०डी०/ जे०एम० कोर्ट सं०-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 04.04.2023 द्वारा 01 वर्ष सश्रम कारावास। बन्दी ने दिनांक 07.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 19 दिन तथा सपरिहार **17** वर्ष, **11** माह, **18** दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे०-1471 में मा**0** उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था में प्रकिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र जागन लोध की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में मकान का हिस्सा अपने में मिला लिये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 27.12.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर रामआसरे नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र जागन लोध को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-49755) पुत्र श्री जागन लोध, निवासी जनपद-सीतापुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-236/2025/224(1)/22-2-2025-17(172)/2024,तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी / अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-236/2025/224/22-2-2025-17(172)/2024

दिनांकः 11 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र जागन लोध, जो सुमरावा, थाना-सकरन, जनपद-सीतापुर का निवासी है। मकान का हिस्सा अपने में मिला लिये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 27.12.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर रामआसरे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण सं0-190/1999 व 301/2000, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० विशेष सत्र न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 20.02.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 09.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है।(2) अ0सं0-23/2008, भा0द0वि0 की धारा-8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में मा० ए०एस०जे० कोर्ट सं०-07, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.12.2021 द्वारा 08 वर्ष, 02 माह, 01 दिन का सश्रम कारावास। (3) अ०सं०-145/2002 भा0द0वि0 की धारा-8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट में मा० ए०एस०जे०/ जे०डी०/ जे०एम० कोर्ट सं०-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 04.04.2023 द्वारा 01 वर्ष सश्रम कारावास। बन्दी ने दिनांक 07.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे०-1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था में प्रकिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र जागन लोध की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में मकान का हिस्सा अपने में मिला लिये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 27.12.1998 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर रामआसरे नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र जागन लोध को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।